न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी प्रकरण संख्या 05/2023

मुकेश कुमार पुत्र भूपराम जाति सुथार (कारीगर) निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——निगरानीकर्ता

वनाम

1. भूपराम पुत्र बलराम जाति सुथार (कारीगर) निवासी किशनपुरा दिखनादा तह. व जिला हनुमानगढ।
2. ग्राम पचांयत किशनपुरा दिखनादा जरिए सचिव किशनपुरा तहसील जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थीयान

निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजरथान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा विलेख सं. पुस्तक सं 5 क्रम सं० 23 दिनांक 04.02.2013 वार्ड नं. 1 ग्राम पंचायत किशनपुरा, को विद्धि विरूद्ध खारिज किये जाने बाबत।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

उपस्थित:— 1. श्री सुरेन्द्र सहारण अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री कुलविन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं० 01

—:निर्णय:—

दिनांक:—30.01.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि अप्रार्थी/गैरनिगरानी कर्ता सं. 2 ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा पट्टा विलेख सं. पुस्तक स. 5 क्रमांक सं. 23 दिनांक 04.02.2013 ग्राम किशनपुरा दिखनादा द्वारा जानबूझकर नियमों की अनदेखी गैरनिगरानी कर्ता से मिलीभगत कर विधि विरूद्ध तैयार किया जाकर जारी किया गया जो कि काबिले खारिज के है। निगरानी को विरतृत रूप से समझने के लिए निगरानी कर्ता का व गैरनिगरानी कर्ता सजरा खानदान निम्न प्रकार से है—बलराम पुत्र मंगलूराम फौत के तीन पुत्र भूपराम, महावीर, रायसिंह है, जिसमें भूपराम के पुत्र सोहनलाल मुकेश कुमार है। निगरानी कर्ता व गैरनिगरानी कर्ता एक ही सजरे खानदान से है कि निगरानी कर्ता के दादा व गैर निगरानीकर्ता स. 1 के पिता बलराम पुत्र मंगलूराम ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा के वार्ड नं. 1 (वर्तमान वार्ड) में पंचायत किशनपुरा दिखनादा में पुशतैनी रिहायश थी, परन्तु गैर निगरानीकर्ता सं. 1 भूपराम ने गैर निगरानीकर्ता सं. 2 से मिलीभगत कर दिनांक 04.02.2013 बैठक में वार्ड नं. 1 में गैर निगरानीकर्ता 1 के भूपराम के [illegible] में यह मानते हुए कि उक्त पट्टा में वर्णित मकान 50 वर्षों में अधिक पुराना कब्जा है गैर निगरानीक[illegible] वर्षो से काबिज मानते हुए गैर निगरानीकर्ता सं 1 के पक्ष में जारी किया गया [illegible] निगरानीकर्ता निम्न आधारों पर चुनौती देता है गैर निगरानीकर्ता द्वारा [illegible] मानते हुए जारी किया है कि गैरनिगरानीकर्ता के पास उक्त मकान [illegible] वर्षों में अधिक समय [illegible] है जबकि उक्त मौका रिर्पोट एवं भौतिक सत्यापन न[illegible]र एक तरफा कार्यवाही [illegible]ार किया गया है। गैर निगरानीकर्ता द्वारा जारी पट्टा विलेख में प्रश्नगत भूखण्ड मुताबिक वंशावाली निगरानी कर्ता का पुस्तेनी हक हिस्सा निहित है उक्त प्रश्नगत भूखण्ड मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:05:00 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

नजरी नक्शा वार्ड नं. 1 ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा पुश्तैनी रिहायशी घर तामिरशुदा है। जिसका आशा पासा व साईज इस प्रकार है उत्तर में आमगली 36 फीट दक्षिण में सरकारी स्कूल 36 फीट पूर्व में महावीर का घर 108 फीट पश्चिम आमगली 108 फीट है जिसका साईज 36X108 फीट कुल क्षेत्रफल 3888 वर्गफीट, जिसमें निगरानीकर्ता का पैतृक हक हिस्सा निहित है। किन्तु गैर निगरानीकर्ता सं 2 द्वारा केवल एक व्यक्ति विशेष का हिस्सा व कब्जा मानकर लाभ प्राप्त करने के आशय में जारी करवाया है जो कि विधि विरूद्ध काबिले खारिज के है निगरानीकर्ता के दादा व गैरनिगरानी 1 के पिता बलराम पुत्र मंगलूराम का पुराना पुश्तैनी भुखण्ड ग्राम पचांयत किशनपुरा दिखनादा के वर्तमान वार्ड सं. 1 में 108 गुणा 108 फीट कुल 11664 वर्गफीट भूखण्ड पर कब्जा था, जिसमें से 1/3 हिस्सा निगरानीकर्ता को घरेलू बंटवारा में मिला हुआ है. जिसकी रशीद ग्राम पचायत किशनपुरा दिखनादा पचांयत समिति हनुमानगढ़ की रसीद कम सं. 67 दिनांक 16.09.1984 है जो सलंग्न निगरानी है जिसमें से 36 गुणा 108 फीट जो मुताबिक घरेलू बंटवारा निगरानीकर्ता को दिया गया था जिस पर मौका पर आज काबिज है बिजली पानी का बिल निगरानीकर्ता के नाम से जारी है। मुताबिक पंचायती राज अधिनियम के अनुसार निशुल्क आवासीय पट्टा में एक ही प्लाट आवन्टित किया जाने का प्रावधान है जिसके अनुक्रम में गैरनिगरानी कर्ता भूपराम पुत्र बलराम निवासी किशनपुरा दिखनादा को अनुसुचित जाति अनुसुचित जनजाति कारीगरों लघु/सीमान्त कृषको को निशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन का पात्र मानते हुए गैर निगरानीकर्ता सं. 2 साईज 45•30 फीट यानि 1350 वर्गफुट का पटटा सं. 7 दिनांक 26.05.1993 ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा द्वारा आवंटित कर जारी किया गया है जिसमें भूपराम पुत्र बलराम अपने पुत्र सोहन लाल के साथ स्थाई रूप से निवास कर रहा है परन्तु गैरनिगरानीकर्ता 1 के द्वारा गैरनिगरानीकर्ता सं 2 के साथ मिलकर पंचायती राज अधि० के प्रावधानों से विपरीत जाकर एक अन्य पटटा पुस्तक सं. 5 क्र. सं. 23 दिनांक 04.02.2013 जारी करवाया गया है जिस पर निगरानीकर्ता का कब्जा है विद्युत पानी निगरानीकर्ता के नाम जारी है और मौके पर निवास कर रहा है, जिसका पट्टा मुताबिक कब्जा निगरानीकर्ता अपने नाम से जारी करवाने का अधिकारी है। गैर निगरानीकर्ता द्वारा जारी पट्टा विलेख मकान का कब्जा पटटा जारी करने से पूर्व से लेकर आज तक निगरानी कर्ता का चला आ रहा है उक्त भूखण्ड का बिजली पानी का बिल व अन्य दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड आदि कब्जा के सबूत निगरानी कर्ता के नाम से जारी है रिहायसी मकान का उपयोग उपभोग निगरानीकर्ता द्वारा बतौर रिहायश किया जा रहा है। गैर निगरानीकर्ता द्वारा केवल राजनैतिक उच्च प्रभाव वाले व्यक्ति होने के कारण ग्राम पचांयत किशनपुरा दिखनादा से साठगाठ कर बलराम पुत्र मंगलूराम के तीन वारिसों के बजाय सिर्फ अकेले एक वारिस भूपराम के नाम से पट्टा विलेख जारी किया है जबकि उक्त भूखण्ड निगरानी कर्ता के दादा बलराम पुत्र मंगलूराम व पूर्वजों का पुश्तैनी है ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा द्वारा निगरानी कर्ता के कब्जा के बिना मौका मुयाआना/बिना सहमति/व बिना नोटिस दिये एक वारिस से राजनैतिक लाभ लेने के आशय से विधि विरूद्ध जारी किया है। प्रश्नगत मकान भूखण्ड में निगरानीकर्ता का स[illegible]र निवास करता आ रहा है उसके पश्चात निगरानी कर्ता एवं गैर निगरानीकर्ता के मध्य घरेलू समझौता के अनुसार प्रश्नगत उक्त भूखण्ड को निगरानी कर्ता [illegible] जिसके पश्चात उक्त भूखण्ड में सम्पूर्ण में निगरानीकर्ता शान्ति पूर्ण तरीके से सपरिवार निवास करता आ रहा है। गैरनिगरानी कर्ता के पास पूर्व में ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा में पटटा सं. 7 दिनांक 26.05.1993 के जारी है जिसमे गैरनिगरानी कर्ता अपने पुत्र सोहनलाल के साथ निवास करता आ रहा है गैर निगरानीकर्ता सं. 2 ग्राम पंचायत को भली भांति ज्ञान था कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:05:00 IST
Reason: SelfAttested

गैरनिगरानी कर्ता सं. 1 भूपराम के नाम पूर्व में भी ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा के नाम पटटा जारी किया गया है जिसमें गैरनिगरानीकर्ता भूपराम निवास करता आ रहा है इसके बावजूद गैरनिगरानी कर्ता सं. 2 ने समस्त तथ्यों की अनदेखी कर निगरानी कर्ता को बेदखल करने के आशय से गैर कानूनी तरीके बिना कब्जा के निगरानीकर्ता की पुश्तेनी मकान का पटटा गैरनिगरानी सं. 1 के नाम दिनांक 04.02.2013 को जारी किया गया है। इन तथ्यों की अनदेखी कर अहम कानूनी भूल की है निगरानीकर्ता के दादा बलराम पुत्र मंगलूराम का देहान्त भी उक्त पटटा विलेख में जारी मकान में हुआ था उक्त मकान निगरानीकर्ता का पुश्तेनी मकान है निगराकर्ता का हक हिस्सा मारने के नियत से बईमानी पूर्वक लालच वश अपने मुख्य कर्ता जुम्मेवारीयों से विमुख होकर अपीलांट का हक हिस्सा से महरूम करने की आशय से प्रश्नगत पट्टा विलेख भूखण्ड अपने नाम से दर्ज करवा लिया जो कि खारिज के है में वर्णित मकान पुश्तैनी मकान का विद्युत कनैक्शन निगरानी कर्ता के नाम से जारी है व उक्त मकान पर निगरानी कर्ता का परिवार राशनकार्ड व आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपीलांट के नाम से जारी है। फोटो प्रतियां सलंग्न निगरानी है। निगरानीकर्ता मद सं. 1 में वर्णित मकान का उपयोग, उपभोग बतौर रिहायश समस्त सुविधायें उपयोग, उपभोग कर रहा है, परन्तु मकान का पट्टा/स्वत्व गैर निगरानीकर्ता सं. 1 के नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुए गैर निगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता को बेदखल कर मकान को अन्यंत्र रहन, बैय करने एवं मुन्तकिल करने को उतारू है, यदि गैर निगरानीकर्ता अपने अवैध मकसद में कामयाब हो गया तो निगरानीकर्ता को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई रूपयों पैसो नहीं आंकी जा सकती, इन तात्विक परिस्थितियों में निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगरानीकर्ता के विरूद्ध शाश्वत् व्यादेश इस आश्य का प्राप्त करने का अधिकारी है कि गैर निगरानीकर्ता, निगरानीकर्ता के पुशतैनी रिहायशी मकान के उपयोग, उपभोग से बेदखल करने व मकान को अन्यंत्र रहन, वैय करने से बाज रहे व गैर निगरानीकर्ता सं. 2 के नाम से जारी पट्टा पुस्तक सं. 5 क्रम सं. 23 दिनांक 04.02.2013 को निरस्त किया जाकर निगरानीकर्ता के नाम से पट्टा जारी करने का गैर निगरानीकर्ता को आदेश फरमाया जावे। निगरानीकर्ता जो कि प्रश्नगत भूखण्ड में शांति पूर्वक निवास करता आ रहा था 7 दिवस पूर्व गैर निगरानीकर्ता द्वारा ऐलानियां धमकियां दी कि उक्त प्रश्नगत भूखण्ड में बैदखल हो जावे तो निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पट्टा विलेख की सम्पूर्ण पत्रावली प्राप्त की प्रथम बार ज्ञात हुआ जिसके पश्चात अधिवक्ता से विचार विमर्श कर आज अविलम्ब श्रीमानजी प्रस्तुत की जा रही है जो कि निगरानी कर्ता के ज्ञान में अन्दर मियाद है परिसीमा अधि० की धारा 5 का प्रा० पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता ने निगरानी पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि गैर निगरानीकर्ता सं. [illegible] से जारी पट्टा पुस्तक सं. 5 क्रम सं. 23 दिनांक 04.02.2013 [illegible] निगरानीकर्ता के नाम से पट्टा जारी करने का गैर निगरानीकर्ता को आदेश [illegible] अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये की निगरानी की दफा 1 अस्वीकार है। दफा 1 निगरानी को रंग देने व विधि विरूद्ध मनगढत तथ्यों पर निगरानी पेश की है। यह कि गैर निगरानीकर्ता पर मिथ्या आरोप लगाये है। गैर निगरानीकर्ता सख्या 1 व उसके सगे भाईयों महावीर प्रसाद व राय सिह

Signature Not Verified
Digitally signed by Umed Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:05:00 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

द्वारा आवादी भूमि किशनपुरा दिखनादा ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूखण्ड गैर निगरानीकर्ता सख्या 1 व उसके भाईयों को उक्त भूखण्ड वेचान किये गये थे व गैर निगरानीकर्ता सख्या 1 व उसके भाईयों द्वारा उक्त भूखण्डो की कीमत अदा कर अपने हक में गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 से पट्टा विलेख पुस्तक सख्या 5 क्रम सख्या 23 दिनांक 04.02.2013 को जारी कर उक्त भूखण्डो का कब्जा प्राप्त किया गया था तथा चरण सख्या 1 मनगढत व विधि विरूद्ध होने के अस्वीकार है। निगरानी की दफा 2 अपने परिवार से सम्बन्धित होने के कारण स्वीकार है परन्तु इसका इस निगरानी से कोई लेना देना नही है व सजरा खानदान में भूपराम के समस्त सदस्यों को नही दिखाया गया है। भूपराम के दो पुत्र व 3 पुत्रीयां है जिनको इस निगरानी में नही दर्शाया गया है। निगरानी की चरण सख्या 3 अस्वीकार है। निगरानीकर्ता ने उक्त भूखण्ड को हडपने की नियत से यह निगरानी पेश की गई है। दफा में दर्ज अन्य तथ्यों का उक्त पट्टा विलेख से कोई सम्वन्ध व सरोकार नही है। उक्त तथ्य गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई है। उक्त पट्टा विलेख गैर निगरानीकर्ता सख्या 1 भूपराम द्वारा उक्त भूखण्ड की कीमत ग्राम पंचायत को अदा करने के बाद जारी किया गया है जो कि उक्त प्लाट गैरनिगरानीकर्ता सख्या 1 का स्वअर्जित प्लाट है जिसमें किसी का कोई हक, हिस्सा व दखलअन्दाजी करने का कोई अधिकार नही है, इस कारण उक्त निगरानी खारिजी योग्य है। निगरानी की चरण सख्या ख अस्वीकार है। गैर निगरानीकर्ता सख्या 2 द्वारा उक्त पट्टा विलेख गैर निगरानीकर्ता सख्या 1 से प्लाट की कीमत प्राप्त करने के बाद जारी किया गया है, इसमें किसी प्रकार का मौका देखने व भौतिक सत्यापन करने की कोई आश्यकता नही थी व ना ही एकतरफा कार्यवाही इसमें की गई, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करने के वाद ही उक्त पट्टा विलेख जारी किय गया है । उक्त दफा निगरानी को मुकदमा की रंगत देने के लिए समस्त तथ्य पेश किये गये है। उक्त प्रश्नगत भूखण्ड मे निगरानीकर्ता का कोई हक निहित नही है क्योकि उक्त भूखण्ड भूपराम को ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है व उसी समय प्रस्ताव लेकर उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है व भूपराम द्वारा अपनी मेहनत से ही उक्त प्लाट में तामीर करवाई गई है। मुकेश को उक्त पट्टा बावत व तामीर बावत सब कुछ पता है, इस कारण निगरानीकर्ता का उक्त प्रश्नगत भूखण्ड में कोई हक निहित नही है। साईज व आसा पासा स्वीकार है। निगरानीकर्ता का पैतृक हक हिस्सा निहित नही है। गैर निगरानीकर्ता के नाम पट्टा जारी होने के कारण व उसका स्वअर्जित मकान होने के कारण ही विधुत विभाग व जलदाय विभाग द्वारा कनैक्शन जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा यह कथन कतई गलत है कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा भूपराम को विशेष लाभ पहुंचाने की गर्ज से पट्टा विलेख जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा गलत तथ्य दर्ज करवाया है कि ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा पंचायत समिति हनुमानगढ की रसीद क्रम सख्या 67 दिनांक 16.09.1984 उक्त प्लाट की है। उक्त रसीद का ग्राम पंचायत व पंचायत समिति से रिपोर्ट प्राप्त की जावे उक्त रसीद का कोई रिकार्ड पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के पास नहीं है। उक्त प्लाट गैर निगरानीकर्ता सख्या 1 का स्वअर्जित प्लाट है व उसको इसमें सब प्रकार का उपयोग उपभोग करने का हक है। उक्त भूखण्ड व जो विवरण दिया गया है, वह पंचायती राज अधिनियम के अनुसार गैर निगरनीकर्ता सख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा कारीगरो की श्रेणी का होने के कारण पट्टा सख्या 7 दिनांक 28.05.1993 को दिया गया है व उक्त भूखण्ड का उक्त निगरानी से काई सम्वन्ध नही है। उक्त प्लाट में मकानो का निर्माण गैर निगरानीकर्ता सख्या 1 द्वारा ही करवाया गया है। उक्त भूखण्ड से निगरानीकर्ता को वेदखल करने के आदेश अपर जिला न्यायाधीश, स[illegible] हनुमानगढ द्वारा व उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा क्रिमिनल रि[illegible] सख्या [illegible]3/2023 द्वारा जारी किया जा चुका है। निगरानीकर्ता के पास अब मौका पर उक्त [illegible] निवास करने का कोई आदेश या हक नही है। निगरानीकर्ता की पत्नी द्वारा [illegible] न्यायालय हनुमानगढ से अपना घरेलू हिंसा का परिवाद वापिस ले लिया है, जिसके आदेश से निगरानीकर्ता उक्त प्लाट में दिनांक 04.02.2023 से निवास कर रहा है। निगरानीकर्ता का यह कथन गलत है कि गैर निगरानीकर्ता राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। गैर निगरानीकर्ता 70 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति है जिसे विभिन्न प्रकार की बीमारीयां है। जिसका ईलाज हनुमानगढ टाउन में

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:05:00 IST
Reason: SelfAttested

डाक्टर पारस जैन से चल रहा है। उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता को ही दिया जाकर उसके नाम से ही पट्टा विलेख जारी किया गया है। यह तथ्य गलत दर्ज करवाये है कि उक्त भूखण्ड बलराम पुत्र मंगलुराम का हो व उनका इस भूखण्ड पर कब्जा ही रहा हो, इस कारण मौका मुआयना सहमति या किसी प्रकार का कोई नोटिस देना अनिवार्य नही था, उक्त भूखण्ड गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 का स्वअर्जित प्लाट है व इस पर अपनी मेहनत कर मकान का निर्माण किया है। निगरानीकर्ता का यह कहना कतई गलत है कि उसका समस्त परिवार उक्त भूखण्ड में निवास करता हो। निगरानीकर्ता अपनी पत्नी राधा से गैर निगनरानीकर्ता संख्या 1 के खिलाफ ग्राम न्यायालय में घरेलू हिसा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त न्यायालय के आदेश से पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन द्वारा जबरिया बिठाया गया है। अब उक्त घरेलू हिसा का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2024 को निगरानीकर्ता की पत्नी राधा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही नही चाहकर उक्त प्रार्थना पत्र को विड्रा कर लिया है। अब निगरानीकर्ता के पास कोई भी ऐसा आदेश नहीं है कि जिसके आधार पर निगरानीकर्ता उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर जबरिया कब्जा करके रह रहा है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 का पुत्र सोहनलाल पिछले 8 9 वर्षो से गांव भांगू (पंजाब) में रहकर पढाई कर रहा है। उक्त भूखण्ड में गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 अपनी पत्नी के साथ निवास कर रहा है। निगरानीकर्ता का इस भूखण्ड में कोई कब्जा नहीं बनता था फिर भी गैर निगरानीकर्ता ने निगरानीकर्ता को एक भूखण्ड लेकर दे रखा है व उस पर मकान बनाने के लिए नगद 3,00,000/– रूपये (अखरे तीन लाख रूपये) व 20 हजार पक्की ईन्ट दिलवाई थी परन्तु निगरानीकर्ता ने अपनी पिता भूपराम को तंग परेशान करने के लिए वापिस इस भूखण्ड में ग्राम न्यायालय से घरेलू हिसा का मुकदमा कर झूठा आदेश पारित करवा उक्त भूखण्ड में जबरिया निवास कर रही है। यह तथ्य गलत दर्ज करवाया है कि बलराम पुत्र मंगलुराम की मृत्यु इस भूखण्ड में हुई है। बलराम की मृत्यु जिस भूखण्ड में हुई, वह भूखण्ड अन्य भूखण्ड था। यहां तक निगरानीकर्ता के दस्तावेज जारी है। वह जो भूखण्ड निगरानीकर्ता को लेकर दिया था, वह भूखण्ड भी इसी वार्ड में स्थित है। गैर निगरानीकर्ता सख्या 1 व 2 द्वारा उक्त पट्टा विलेख सही जारी किया गया है। निगरानीकर्ता उक्त भूखण्ड में ग्राम न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा के प्रार्थना पत्र के आदेश द्वारा निवास कर रहा है। उक्त आदेश की प्रति संलग्न है। उक्त घरेलू हिसा का प्रार्थना पत्र राधा द्वारा वापिस ले लिया है। अब उक्त भूखण्ड में निगरानीकर्ता के पास कोई आदेश नही है जिसके आधार पर निगरानीकर्ता उक्त भूखण्ड पर काबिज रह सके व उक्त भूखण्ड का पट्टा उप पंजीयक से रजिस्टर्ड किया हुआ है व बैंक द्वारा उक्त पट्टा विलेख पर ऋण दिया हुआ है, इस कारण निगरानीकर्ता को कोई अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन नहीं हो रहा है. इस कारण निगरानीकर्ता कोई शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता पिता पुत्र है, इस कारण निगरानीकर्ता को स्पष्ट पता था कि उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख दिनांक 04.02.2013 को जारी किया गया था। उक्त निगरानी मियाद बाहर होने से उक्त अदालत को उक्त निगरानी सुनने का कोई अधिकार नही है, उक्त निगरानी को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट के विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है। अवलोकन में पाया कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:05:00 IST
Reason: SelfAttested

1. ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा पट्टा विलेख संख्या 23 दिनांक 04.02.2013 जिसमें 36 गुणा 106 वर्गफुट (424 वर्गगज) भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 157 (1)(i) के अन्तर्गत आबादी भूमि का पट्टा केवल 300 वर्ग गज की सीमा तक आवंटित किया जा सकता है।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

अपर जिला ... हनुमानगढ़ (राज०)

2. उभय पक्ष में राजीनामा दिनांक 25.06.2024 पेश किया जिसके पृष्ट संख्या 03 पर मद संख्या 04 जिसमें निगरानीकर्ता मुकेश कुमार का 1/3 हिस्सा पर काबिज होने एवं घरेलू बंटवारा में आये हुए मकान जिसका आसा पासा "उत्तर में भूपराम का मकान मय आरा मशीन दक्षिण में सरकारी स्कुल पश्चिम में आम गली पूर्व में भूपराम का गैराज" बटंवारे में दिया गया है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार की जाकर प्रश्नगत पट्टा वाके ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा पंचायत समिति हनुमानगढ द्वारा जारी विक्रय विलेख पट्टा पुस्तक सं. 5 क्रम सं. 23 दिनांक 04.02.2013 जो ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं0 01 भूपराम के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा पंचायत समिति हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड (प्रतिप्रेषित) की जाती है की निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकारान को विधिवत सुनवाई कर नियमानुसार पट्टा जारी करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:05:00 IST
Reason: SelfAttested